93

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एस0एस0 अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 608-तीन/2008 विरूद्ध आदेश दिनांक 05-5-2008 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा प्रकरण क्रमांक-20/अपील/1995-96.

रामसजीवन तनय मोहनराम ब्रा0
निवासी ग्राम करमाई तहसील मझौली
जिला सीधी म0प्र0

-----आवेदक

विरूद्ध

1. कौशलेश सिंह तनय श्री हीरामणि सिंह
निवासी ग्राम करमाई थाना व तहसील मझौली
जिला सीधी म0प्र0
2. सुखेन्द्र सिंह तनय श्री कौशलेश सिंह
निवासी ग्राम करमाई थाना व तहसील मझौली
जिला सीधी म0प्र0
3. म0प्र0 शासन

-----अनावेदकगण

....

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदक

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9-3-2018 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 05-5-2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम करमाई ज0नं0 107 तहसील मझौली जिला सीधी की भूमि खसरा क्रमांक 953 रकबा 0.64 एकड़ पर कब्जा दर्ज करने हेतु आवेदन अनावेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसपर नायब तहसीलदार मझौली ने आदेश दिनांक 10-8-90 के द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 सुखेन्द्र सिंह का कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी मझौली जिला सीधी के समक्ष प्रस्तुत की गई जो आदेश दिनांक 31-10-92 के द्वारा निरस्त की गई। द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 5-5-08 द्वारा अपील सारहीन होने से निरस्त की। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार मझौली के आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर नायब तहसीलदार ने आदेश दिनांक 10-8-90 के द्वारा अंतिम आदेश पारित किया था। नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो निरस्त हुई तथा आवेदक की द्वितीय अपील अपर आयुक्त द्वारा भी निरस्त की जाकर तहसील न्यायालय के आदेश को यथावत रखा है। तीनों अधीनस्थ न्यायालय के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश दिनांक 05-5-2008 स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश, ग्वालियर